कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या :..... /2018

दिनांक :.....

कार्यालय आदेश

माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13.02.2018 के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय की एण्टी रैगिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के दृष्टिगत लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के द्वितीय परिसर में दिनांक 05.02.2018 की रात्रि समय लगभग 12.30 बजे प्रबन्धन पुरूष छात्रावास में मद्यपान कर वादी एवं प्रतिवादी छात्रों के मध्य हुए मारपीट व शारीरिक क्षति पहुँचाने तथा छात्रावास में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त करने तथा इस घटना को रैगिंग का रूप देकर विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने जैसी घटना कारित करने के आरोप में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित छात्रों को तत्काल्कि प्रभाव से छात्रत्व से निलम्बित कर विश्वविद्यालय के उभय परिसर एवं छात्रावासों में इनका प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित करने तथा आवंटित कक्ष का आवंटन निरस्त करते हुए प्रत्येक छात्र पर एक वर्ष के दोनों समेस्टर में छात्र द्वारा जो शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराया जाता है उसके योग के 25 प्रतिशत का अर्थ दण्ड लगाये जाने की स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गयी थी कि प्रत्येक छात्र को रू0 100/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम पेपर पर अपना शपथ पत्र लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलानुशासक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा कि वह भविष्य में किसी भी अवांछित घटना में संलिप्त पाया जाता है तो उसका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त निरस्त किये जाने पर अनुमति प्रदान की गयी थी।

इस सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 16.04.2018 के अनुपालन में निम्नांकित संलिप्त छात्रों द्वारा लिखित प्रत्यावेदन में किये गये अनुनय–विनय पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पूर्व में लगाये गये 25 प्रतिशत के अर्थ दण्ड को एक वर्ष के दोनों समेस्टर में छात्र द्वारा जो शुल्क विश्वविद्यालय में जमा कराया जाता है उसके योग के 10 प्रतिशत किये जाने पर स्वीकृत प्रदान की गयी है। सम्बन्धित छात्र 10 प्रतिशत का आर्थिक दण्ड विश्वविद्यालय के कैशियर कार्यालय में जमा करने के उपरान्त तत्सम्बन्धी पावती की मूल प्रति एवं प्रत्येक छात्र को रू0 100/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम पेपर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान आदर्श पाकवृत्त का शपथ पत्र कुलानुशासक कार्यालय में जमा करने पर ही छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। जिन छात्रों द्वारा 25 प्रतिशत आर्थिक दण्ड जमा किया जा चुका है वह शेष 15 प्रतिशत आर्थिक दण्ड शुल्क कैशियर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

1. शिवम सिंह, पुत्र श्री राधवेन्द्र प्रताप सिंह, छात्र एम0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर 2017–2018
2. वीरेश कुमार तिवारी पुत्र श्री मयंकेश्वर तिवारी छात्र एम0बी0ए02017–2018
3. शुभम वैश्य पुत्र श्री रोशन लाल वैश्य छात्र एम0बी0ए0 2017–2018
4. आदित्य राज वर्मा पुत्र श्री रमाशंकर वर्मा, छात्र बी0काम0 (आनर्स) द्वितीय वर्ष 2017–2018
5. मोहम्मद आरिज पुत्र श्री अब्दुल हन्नान छात्र बी0बी0ए0 2017–2018
6. इरफान अहमद पुत्र मोहम्मद इब्राहिम छात्र बी0बी0ए0 द्वितीय वर्ष
7. कुनाल गुप्ता पुत्र श्री मुकेश कुमार गुप्ता छात्र बी0बी0ए0. द्वितीय वर्ष 2017–2018
8. अभिषेक पाल पुत्र श्री सुभाष चन्द्र पाल, छात्र बी0काम0 (आनर्स) द्वितीय वर्ष 2017–2018
9. हिमांशु वर्मा छात्र ए0बी0ए0 (टूरिज्म)
10. आकाश सिंह, छात्र एम0बी0ए0 (टूरिज्म)
11. प्रदीप जायसवाल छात्र बी0काम0 (आनर्स) तृतीय वर्ष
12. विकास कुमार छात्र बी0बी0ए0 (कोर) प्रथम वर्ष
13. विशाल पाण्डेय छात्र एम0बी0ए0 (फाईनेंस)
14. वैभव यादव, छात्र बी0बी0ए0
15. एमनदीप सिंह,पुत्र श्री स्वरनजीत सिंह, एम0बी0ए0 (एम0एस0)प्रथम सेमेस्टर
16. सिद्धान्त विधू दिसेन पुत्र श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह छात्र बी0बी0ए0 (टूरिज्म)
17. सत्यदेव , पुत्र श्री शाशिकान्त राम बी0बी0ए0 द्वितीय सेमेस्टर
18. ओमभद्र सिंह पुत्र श्री गौरव सिंह छात्र बी0बी0ए0 (आई0बी0)
19. महेन्द्र प्रताप गौतम, छात्र बी0काम0 आनर्स
20. मनीष गौतम, एम0बी0ए0

उपरोक्त प्रकरण विषयक अन्य शर्ते इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–6232–50,दिनांक 13.03.2018 के अधीन होगी।

(प्रो0 आर0के0 सिंह)
कुलसचिव

संख्या– GA–9409–510 दिनांक– 19/4/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, कुलपति, मा0कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, प्रति कुलपति, प्रतिकुलपति जी को सूचनार्थ।
3. समस्त संकायाध्यक्ष, ल0वि0वि0।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, ल0वि0वि0।
5. समस्त निदेशक/समन्वयक, ल0वि0वि0।
6. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
7. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।
8. अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0वि0।
9. मुख्य अभिरक्षक, ल0वि0वि0।
10. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0वि0।
11. निदेशक, आई0एम0एस0, ल0वि0वि0।
12. इन्चार्ज, अभियान्त्रिकी संकाय, ल0वि0वि0।
13. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
14. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
15. समस्त उपकुलसचिव, ल0वि0वि0।
16. कार्यालय अधीक्षक कैश कार्यालय,ल0वि0वि0।
17. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
18. इंचार्ज वेवसाइट को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव